



Australian Government
Australian Taxation Office

आपकी पढ़ाई से सम्बंधित खर्चे

टैक्स रिटर्न तैयार करते समय आप क्या क्लेम कर सकते हैं,
यह समझना आपके हित में है

आप इसे कब क्लेम कर सकते हैं ?

आपकी पढ़ाई से सम्बंधित खर्चे आप तब क्लेम कर सकते हैं जब आपकी पढ़ाई का कोर्स निम्नलिखित से सीधे सम्बंधित है :

- ✓ आपकी वर्तमान नौकरी से, और वह कोर्स उन विशिष्ट कुशलताओं या जानकारी को तरो-ताजा करता या बढ़ाता है जिनकी आपको अपनी वर्तमान नौकरी के लिए ज़रूरत है, या
- ✓ वह कोर्स करने से आपकी वर्तमान नौकरी से अर्जित की जाने वाली आय बढ़ जाएगी या बढ़ने की उम्मीद है।

आप क्या क्लेम नहीं कर सकते ?

आप किसी ऐसे कोर्स के लिए अपनी पढ़ाई का खर्च क्लेम नहीं कर सकते जो :

- ✗ आपकी वर्तमान नौकरी या पेशे से सामान्य रूप से ही सम्बंधित है, या
- ✗ आपको एक नई नौकरी पाने में सहायक होगा – जैसे नर्स की नौकरी से चिकित्सक की नौकरी पाना।



कोर्स के खर्चे

यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स कटौती के लायक है तो आप उस कोर्स को पढ़ने से सीधे सम्बंधित सभी खर्चे कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं।

सामान्य खर्चे

कुछ सामान्य खर्चे जिनके लिए आप कटौती के पात्र हो सकते हैं, इस प्रकार हैं :

- ✓ ट्यूशन फ़ीस, यदि आप स्वयं उसे वहन करते हैं
- ✓ कंप्यूटर के रख-रखाव का खर्चा (जैसे प्रिंटर कार्ट्रिज)
- ✓ पढ़ाई की पुस्तकें
- ✓ आपके ट्रेड, व्यवसाय या पढ़ाई के जर्नल / रिसाले
- ✓ स्टेशनरी
- ✓ होम ऑफ़िस को इस्तेमाल करने के खर्चे
- ✓ इंटरनेट के इस्तेमाल के खर्चे (इसमें कनेक्शन की फ़ीस शामिल नहीं है)
- ✓ फ़ोन कॉल
- ✓ पोस्टेज
- ✓ स्टूडेंट सर्विसेज और एमेनिटीज की फ़ीस
- ✓ यात्रा के खर्चे, इनमें घर से पढ़ाई के स्थान और काम के स्थान से पढ़ाई के स्थान तक की यात्रा के लिए कार के खर्चे शामिल हैं
- ✓ हायर एजुकेशन लोन प्रोग्राम (हेल्प) के कर्ज़ पर दी गई फ़ीस, लेकिन कर्ज़ की राशि नहीं

आप इन खर्चों का केवल उतना हिस्सा ही कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं जो आपकी अनुमोदित/उपयुक्त पढ़ाई से सीधे सम्बंधित है।

डीप्रीशिएट होने वाली संपत्ति

आप डीप्रीशिएट होने वाली संपत्ति – वो संपत्ति जिसकी कीमत समय के साथ-साथ कम होती जाती है, जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर – जो आपने पढ़ाई के लिए खरीदी और इस्तेमाल की है, उसके लिए अवमूल्यन की कटौती करने के पात्र हो सकते हैं।

जिस डीप्रीशिएट होने वाली संपत्ति की कीमत \$300 से अधिक है, आम तौर पर आप उसकी कीमत उसकी उपयोगिता के पूरे समय के दौरान कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं (इसे मूल्य ह्रास कहते हैं)। लेकिन यदि आपकी डीप्रीशिएट होने वाली संपत्ति की कीमत \$300 या इससे कम है – तो आप उस संपत्ति की पूरी कीमत, जिस हद तक आपने उसकी खरीद के टैक्स वर्ष में उसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया था (खर्चे के बँटवारे सम्बन्धी जानकारी देखें), कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं।

कार के खर्चे

यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपकी वर्तमान नौकरी से सीधे सम्बंधित है तो आप रोजमर्रा की निम्नलिखित यात्राओं का खर्चा भी क्लेम कर सकते हैं :

- ✓ घर से पढ़ाई के स्थान पर जाना और वापस आना
- ✓ काम के स्थान से पढ़ाई के स्थान पर जाना और वापस आना



लेकिन आप अपनी यात्रा के अंतिम चरण की कीमत इन स्थितियों में क्लेम नहीं कर सकते :

- ✗ घर से पढ़ाई के स्थान पर, और फिर काम के स्थान पर
- ✗ काम के स्थान से पढ़ाई के स्थान पर, और फिर घर

आप अपनी पढ़ाई से सम्बंधित निम्नलिखित खर्चे क्लेम नहीं कर सकते :

- ✗ आपके नियोक्ता या किसी और द्वारा भरी गई आपकी ट्यूशन फ़ीस, या जब फ़ीस का खर्चा आपको किसी ने वापस दे दिया हो
- ✗ हायर एजुकेशन लोन प्रोग्राम (हेल्प), स्टूडेंट फाइनेंशियल सप्लीमेंट स्कीम (एस एफ एस एस), स्टूडेंट स्टार्ट अप लोन (एस एस एल), या ट्रेड सपोर्ट लोन्स प्रोग्राम (टी एस एल) के अंतर्गत लिए गए कर्ज़ की राशि की वापसी
- ✗ होम ऑफ़िस के रिहाइश के खर्चे, जैसे किराया, घर के लोन पर ब्याज़, रेंट्स
- ✗ रहने के स्थान और खाने-पीने का खर्चा – सिवाय, जब आपको थोड़े समय की पढ़ाई के लिए घर से दूर कहीं रहना पड़ता है, जैसे रेजिडेंशियल स्कूल में रहने के लिए

खर्चों का बँटवारा

कुछ खर्चों को निजी इस्तेमाल के हिस्से और अपनी पढ़ाई के इस्तेमाल के हिस्से में बाँटना आवश्यक है। यात्रा के खर्चों और अवमूल्यन के खर्चों उन खर्चों के अच्छे उदाहरण हैं जिन्हें इस तरह बाँटना आवश्यक हो सकता है।

उपकरणों का इस्तेमाल

यदि आप उपकरणों, जैसे कि कम्प्यूटर या प्रिंटर का निजी इस्तेमाल भी करते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए भी, तो आपको उनके खर्चों को उपकरण के पढ़ाई के उपयोग के प्रतिशत के आधार पर बाँटना होगा।

उदाहरण के लिए, यदि कम्प्यूटर 50% पढ़ाई के लिए और 50% निजी तौर पर इस्तेमाल होता है तो आप कम्प्यूटर की आधी कीमत ही कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं। (संपत्ति सम्बन्धी खर्चों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया पिछले पृष्ठ पर *डीप्रीशिएट होने वाली संपत्ति* सेक्शन देखें)

अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना

अपने पढ़ाई सम्बन्धी खर्चों की कटौती का अंदाज़ लगाने के लिए हमारे सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंस कैलकुलेटर (ato.gov.au/selfeducationalcalc) का इस्तेमाल करें। यह आपके क्लेम की पात्रता की जानकारी भी देता है।

आपको जो रिकॉर्ड रखने होंगे उनमें निम्नलिखित खर्चों की रसीदें शामिल हो सकती हैं:

- ✓ कोर्स की फ़ीस
- ✓ किताबें
- ✓ स्टेशनरी
- ✓ डीप्रीशिएट होने वाली संपत्ति का मूल्य ह्रास और मरम्मत।

आपको यात्रा सम्बन्धी खर्चों के लिए भी रसीदें, दस्तावेज़ या डायरी में एंट्री करके रखनी होंगी।

आपके पढ़ाई सम्बन्धी खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए आप हमारा ए टी ओ एप्प का myDeductions टूल (ato.gov.au/myDeductions) इस्तेमाल कर सकते हैं।



अपने खर्चों की गणना करना

कुछ परिस्थितियों में आपको अपने पढ़ाई के खर्चों में से \$250 तक कम करके अपने क्लेम की राशि की गणना करनी होगी।

ए टी ओ वेबसाइट पर सेल्फ-एजुकेशन एक्सपेंस कैलकुलेटर (ato.gov.au/selfeducationalcalc) आपके लिए ये सब गणना कर सकता है।



यह पूरी जानकारी का केवल सामान्य सारांश है।

अधिक जानकारी के लिए अपने टैक्स एजेंट से बात करें या ato.gov.au/selfeducation पर जाएँ।